प्राचार्य
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान।

विषयः राज्य सरकार की प्रवेश नीति एवं प्रवेश प्रकिया अकादमी सत्र 2019-20। महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति एवं प्रवेश प्रकिया अकादमी सत्र 2019-20 आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है। जिसे वेबसाईट से डाउनलोड कर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति एवं प्रवेश प्रकिया के अन्तर्गत महाविद्यालय में प्रवेश कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करें।

(प्रदीप कुमार बोरड) आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं

विशिष्ठ शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर / अजमेर / कोटा/बीकानेर / जोधपुर / उदयपुर।
2. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजरथान, जयपुर।

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

## राजस्थान सरकार

# प्रवेश नीति 2019-20 (राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लिए) 

# आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर 

$\left.-\frac{3}{2} \frac{4}{2} \right\rvert\, 1519$

## अनुक्रमणिका

| क्र.स. | विवरण | पृष्ठ संख्या |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. | प्रवेश नीति |  |
|  | प्रथम भाग प्रस्तावना एवं उद्देश्य | 1-2 |
|  | द्वितीय भाग स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम | 3-7 |
|  | तृतीय भाग स्नातकोत्तर एवं एम. फिल. पाठयक्रम में प्रवेश के नियम | $8-11$ |
|  | चतुर्थ भाग विधि संकाय में प्रवेश के नियम | 12-13 |
|  | पंचम भाग सभी संकायों हेतु सामान्य नियम | 14-20 |
|  | षष्ठ भाग आरक्षण, रियायतें एवं लाभ | 21-32 |
| 2. | राज्य सरकार का परसेन्टाइल आधारित प्रवेश प्रक्रि दिनांक 10.06.14 एवं 19.06.14 | या संबंधी आदेश |

## षष्ठ भाग

आरक्षण, रियायतें एवं लाभ
6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछडा वर्ग (MBC)(चिकनी परत को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण।
6.1.1 विधि संकाय सहित प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछडा वर्ग (चिकनी परत को छोडकर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये कमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
6.1.2 पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में अति पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है एवं इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का अलग से स्थान देय है \{संदर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 28.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा-4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019\} / आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जावे। \{सन्दर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश कमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 22.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा-4/ 2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019\}
6.1.3 स्नातकोत्तर व एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।
6.1.4 आरक्षण संबधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6.1.5 ओ.बी.सी./एम.बी.सी. संबंधी प्रमाण-पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण-पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ-पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण-पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11( )( ) आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.वि / 12/7376-409 दि. 24.01.2013)
6.1.6 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।
6.1.7 6.1.6 के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।
6.1.8 आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित स्थान प्रथमतः आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।

6.1.9 यदि संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसे आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए समाचार पत्र में विज्ञप्ति दी जाये जिसके लिए प्रवेश शुल्क जमा नहीं करवा सकने वाले उसी वर्ग के अभ्यर्थी भी पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
6.1.10 यदि विज्ञप्ति के सात दिवस में कोई आवेदन पत्र नहीं आता है या कम आवेदन पत्र आते हैं तो अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जन जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा इइसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के सथान रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
6.1.11 बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया अभ्यर्थियों के लिए बारां जिले के राजकीय महाविद्यालय, केलवाडा में शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान सरकार के निर्देश कमांक प.13(20)कार्मिक/क-2/91 पार्ट जयपुर दिनांक 12.09.2007 के अनुसार तथा केलवाडा के अतिरिक्त अन्य राजकीय महाविद्यालयों में न्यूनतम उत्तीणांक पर प्रवेश दिया जायेगा।
6.1.12 महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त, यदि राज्य सरकार द्वारा सीटों/वर्गों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो उन बढ़ी हुई सीटों/वर्गों के लिए आरक्षण नियमों की पालना करते हुए पृथक प्रवेश सूची जारी की जायेगी।
6.1.13 प्रत्येक संकाय के स्नातक प्रथम भाग की प्रत्येक कक्षा में तथा स्नातकोत्तर स्तर एवं एम. फिल. के प्रत्येक विषय/कक्षा में बिन्दु संख्या 6.1.1 से 6.1.11 के अनुसार स्थानों का आरक्षण किया जायेगा एवं तद्नुसार पूर्ति की जायेगी।

## 6.2 दिव्यांग अभ्यर्थी (स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल.)

6.2.1 मूक, बधिर एवं दृष्टिबाधित (Blind) विद्यार्थियों को मनोवांछित महाविद्यालय में मनोवांछित संकाय में न्यूनतम उर्त्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जावेगी एवं प्राचार्य अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु अधिकृत होंगे।
6.2.2 प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में 5 प्रतिशत स्थान दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु क्षैतिजवर्ती (HORIZONTAL) आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षित रहेंगे।
6.2.3 स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में आरक्षण विषयवार होगा। जहां यह संख्या एक से भी कम हो, वहां भी कम से कम एक स्थान आरक्षित रहेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की रिथति में प्रवेश की प्रथम सूची में इसे सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
6.2.4 बिन्दु 6.2.2 के अनुसार निर्धारित नियतांश में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंकों का लाभ भी दिया ज सकेगा। परन्तु उक्त लाभ किसी भी अभ्यर्थी को नियतांश (कोटा) भरने की पात्रता प्रदा करने हेतु ही देय होगा, योग्यता सूची में उच्च स्थान प्रदान करने के लिए नहीं।

6.2.5 निःशक्तजन (दिव्यांग) को निःशक्तता के संबंध में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार विशिष्टीकृत चिकित्सकीय प्राधिकरण द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (भारत का राजपत्र 19 अप्रेल 2017 एवं राजस्थान राज-पत्र विशेषांक, जुलाई 26, 2011) जिला मुख्य चिकित्साधिकारी / पी.एम.ओ.जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा

## 6.3 शिक्षक अभ्यर्थी

प्रत्येक विषय की एम.एससी. पूर्वार्द्ध कक्षा में एक स्थान शिक्षक अभ्यर्थी के लिए आरक्षित रहेगा, जिसका मनोनयन निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान के द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी को प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वह प्रवेश की न्यूनतम पात्रता रखता हो, अन्यथा इस आरक्षित स्थान को सामान्य स्थान मानकर प्रवेश की अन्तिम तिथि को सामान्य अभ्यर्थी से भर दिया जायेगा।
6.4 प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल*(CAPF) कर्मियों के आश्रितों को प्रवेश हेतु देय लाभ

|  | Eligible Categories | Benefits |
| :---: | :---: | :---: |
| (i) | प्रतिरक्षा सेवाओं के सेवा में रहते हुए शहीद कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री | न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश |
| (ii) | प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री | प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु 03 प्रतिशत की वृद्धि |
| (iii) | प्रतिरक्षा सेवाओं / केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल* (CAPF) कर्मियों के वार्डस के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे, जिन्हे निम्न प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश देय होगा - <br> 1. Wards of personnel killed in action. <br> 2. Wards of personnel disabled in action and boarded out from service/died while in service with death attributable to military service disabled in service and boarded out with disability attributable to military service. <br> 3. Wards of personnel awarded Gallantry award. <br> 4. Wards of awarded Ex servicemen. | प्राथमिकता अनुसार <br> Reservation of $03 \%$ seats |

*CAPF में CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, RPF, NSG सेवाओं के कर्मी सम्मिलित है।

## 6.5 कश्मीरी विस्थापित व कश्मीरी निवासी

6.5.1. प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में एक प्रतिशत स्थान कश्मीरी विस्थापितों के बच्चों हेतु आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण सामान्य वर्ग सहित सभी वर्गों में संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा।
6.5.2 कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की रिथति में प्रवेश की अन्तिम तिथि को इसे सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा। कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थियों को अन्तिम प्रवेश तिथि के 30 दिन बाद तक प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश देने के लिए सभी पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रवेश सीटों को 5 प्रतिशत तक बढाया जा सकेगा।

6.5.3. इस नियतांश (कोटे) में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को पात्रता प्रदान करने हेतु 3 प्रतिशत अंकों का लाभ देय होगा। यह लाभ वरीयता सूची में स्थान प्रदान करने के लिए नहीं होगा।
6.5.4 कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थी को इस नियतांश में प्रवेश पाने हेतु विस्थापित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6.5.5. प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक मानदण्ड की सीमा तक वरीयता सूची के कट ऑफ में 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।
6.5.6 प्रवेश के लिए राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
6.5.7 तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों को प्रवेश तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से प्रवेश देने हेतु 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इस वर्ग के अभ्यर्थी यदि प्रवेश हेतु आवेदन नहीं करते है तो अन्तिम तिथि के बाद इन स्थानों को सामान्य भर्ती से भरा जा सकेगा।
6.5.8 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक एफ1-1/2012/एसए-3 दिनांक 10.03.15 के अनुक्रम में जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध विशेष छात्रवृति योजना के तहत आने वाले अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालय की स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त कश्मीरी निवासियों के लिए दो स्थान (अधिसंख्यक) उपलब्ध होगे। इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर वरीयता अनुसार प्रवेश देय होगे।
6.5.9 एक भारत श्रेष्ठ भारत के कियान्वयन के अन्तर्गत असम राज्य से विद्यार्थियों के प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके प्रवेश हेतु प्रत्येक संकाय एवं पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त दो सीटें सृजित की जा सकेगी।

## 6.6 ट्रांसजेण्डर अभ्यर्थियों का प्रवेश

यदि तृतीय लिंग (थर्ड जेण्डर/ट्रांसजेण्डर) के किसी अभ्यर्थी द्वारा सहशिक्षा के महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन किया जाता है तो उसे निम्नानुसार प्रवेश दिया जावे :-
i विभिन्न पाठ्यकमों में निर्धारित सीटों से अतिरिक्त सीटों पर न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश देय है।
ii इस वर्ग के प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की लिंग संबंधी स्वयं की घोषणा आधार रहेगी । (आयुक्तालय आदेश कमांक 383 दिनांक 23.6.2015)
6.7 अभ्यर्थी को खेलकूद/सह शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर विगत तीन सत्रों में खेलकूद/सह शैक्षणिक क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों परिलाभ क्रमशः स्नातक पार्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के प्रवेश के समय ही दिया जावेगा।

6.7.1 अभ्यर्थी द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

| क्र. सं. | उपलब्धि | प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्घारण हेतु देय लाभ |
| :---: | :---: | :---: |
| अ | (i) भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व <br> (ii) अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में भारतीय विश्वविद्यालय संघ का प्रतिनिधित्व <br> (iii) भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रस्तरीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला विजेता/उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर <br> (iv) अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर <br> (v) विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता (एस.जी.एफ.आई) में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर <br> (vi) सी.बी.एस.ई. राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से दलीय खेलो में विजेता/उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेलों में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर | न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश |
| ब | (i) पश्चिम क्षेत्रीय अन्तर विश्वविद्यालीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/उपविजेता दल का सदस्य <br> (ii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त करने पर <br> (iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.)/ नवोदय विद्यालय संगठन (एन.वी.एस)/ आई.पी.एस./सैनिक स्कूल की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में दलीय खेल हेतु विजेता/उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेल हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर <br> (iv) सी.बी.एस.ई. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व | 6 प्रतिशत |
| स | (i) भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर <br> (ii)अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर <br> (iii)केन्द्रीय विद्यालय गठन/नवोदय विद्यालय संगठन/आई.पी.एस. संगठन/सैनिक स्कूल संगठन के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व <br> (iv)सी.बी.एस.ई. की कलस्टर/जोन स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर (दलीय खेलों हेतु विजेता/उपविजेता तथा एकल खेलों हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर) | '5 प्रतिशत |
| द | (i)राजस्थान राज्य कीडा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता का स्थान प्राप्त करने पर <br> (ii)राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में | 3 प्रतिशत |


| प्रतिनिधिित्व/जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर <br> (iii)विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, <br> द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर <br> (iv)अखिल भारतीय संक्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान <br> प्राप्त करने पर <br> (v)केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन/आई.पी.एस. संगठन के <br> रीजनल/ कलस्टर स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर |  |  |
| :--- | :--- | :--- |
| य | (i)राजस्थान राज्य कीडा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य <br> स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने पर <br> (ii)विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में <br> महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर <br> (iii)राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालय <br> का प्रतिनिधित्व करने पर <br> (iv)अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने पर <br> (v)सी.बी.एस.ई. केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन की कलस्टर/ <br> जोन/रीजनल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर |  |

विशेष टिप्पणी :
(अ) के बिन्दु संख्या $\mathbf{i}$ व $\mathbf{i i}$ के अलावा उपरोक्त देय लाभ राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय/महाविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय से प्रतिनिधित्व की स्थिति में ही देय होगा।
6.7.2 अंक लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश

आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में उचित लाभ देय नहीं होगा

| क्र.सं. | स्तर | जिनका प्रमाण-पत्र मान्य होगा |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. | (i) से (vi) | भारत सरकार के खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एस.जी.एफ.आई., सी.बी.एस.सी संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी/आयोजन सचिव |
| ${ }^{2}$ | $\begin{aligned} & \text { ब से स के } \\ & \text { (i) से (iv) } \end{aligned}$ | विश्वविद्यालय कीडा परिषद, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, सी.बी.एस.ई. संगठन, आई. पी.एस. संगठन, सैनिक स्कूल संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी / आयोजन सचिव |
| 3. | $\begin{aligned} & \text { द का } \left.\begin{array}{l} \text { (i) }) ~ \\ \text { एव }(v) \\ \text { यका (i) से }(v) \end{array}\right) \end{aligned}$ | राजस्थान राज्य कीडा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ के पदाधिकारी, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी/उपजिला शिक्षा अधिकारी/आयोजन सचिव/आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रभारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित। |



उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगे:-

| 1 | एथलेटिक्स (क्रॉस कन्ट्री दौड़ सहित) | 18. | जिमनास्टिक |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2. | जलीय खेल (स्वीमिंग डाईविंग एवं वाटर पोलो) | 19. | जूडो |
| 3. | बैडमिन्टन | 20. | मुक्केबाजी |
| 4. | बास्केटबॉल | 21. | मिनी गोल्फ |
| 5. | शतरंज | 22. | तीरन्दाजी |
| 6. | क्रिकेट | 23. | निशानेबाजी, एयर राइफल, |
| 7. | साइकिलिंग |  | एयर पिस्टल |
| 8. | फुटबाल | 24 | सॉफ्टबॉल |
| 9. | हॉकी | 25 | अमेरिकन फुटबॉल |
| 10. | कबड्डी | 26 | बॉल बैडमिटंन |
| 11. | खो-खो | 27 | नेट बॉल |
| 12. | टेबिल टेनिस | 28 | रोलबॉल |
| 13. | टेनिस | 29 | रग्बी |
| 14. | वॉलीबॉल | 30 | स्कवैश रैकिट |
| 15 | हैण्डबाल | 31 | ताइक्वांडो |
| 16 | कुश्ती | 32 | वुश |
| 17. | भारोत्तोलन एवं शरीर सौष्ठव | 33 | योगा |
|  |  | 34. | पावर लिफ्टिंग बिज |

6.7.3 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर एन.सी.सी. में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

| क्र. | सीनियर डिवीजन/विंग ( तीन सत्रों में ) जूनियर डिविजन / विंग (पॉच सत्रों में ) | प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेत देय लाम |
| :---: | :---: | :---: |
| अ | मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा महानिदेशक एन.सी.सी. द्वारा चयनित होकर देश का प्रतिनिधित्व। | $\begin{aligned} & \text { न्यूनतम उत्तीजी़ाक } \\ & \text { प्रतिशत पर प्रवेश } \end{aligned}$ |
| ब | एन.सी.सी. की किसी शाखा में अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार। |  |
| स | निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने |  |
|  | गणतंत्र दिवस कैम्प की प्रतियोगिता में प्रथम / द्वितीय स्थान | 6 प्रतिशत |
|  | पैरा जम्पिग कोर्स में स्काई डाउविंग कोर्स पूर्ण कर्त्ता कैडेट |  |
|  | एडवेन्चर माउन्टेनेयरिंग तथा एडवांस माउण्टेनेयरिंग कोर्स पूर्ण कर्ता कैडेट |  |
|  | सी प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट |  |
|  | बी प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट |  |
|  | ए प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट |  |
| द | निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना। |  |
|  | गणतंत्र दिवस कैम्प |  |



6.7.4 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर पर्वतारोहण, शिलारोहण एवं वॉलक्लाइम्बिंग में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

| $\begin{aligned} & \text { क्र. } \\ & \text { सं. } \end{aligned}$ | उपलब्धि | प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाम |
| :---: | :---: | :---: |
| अ | मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय अभियान में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व | न्यूनतम उत्तीणांक प्रतिशत पर प्रवेश |
| ब | शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एडवेंचर्स प्रोग्राम तथा 20,000 फीट या अधिक की ऊँचाई पर पहुंच | 6 प्रतिशत |
| स | विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संर्था द्वारा आयोजित एडवांस कोर्स | 5 प्रतिशत |
| द | सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में बेसिक कोर्स | 3 प्रतिशत |

प्रमाण पत्रों की मान्यता के लिए बिन्दु 6.7.2 (3) में दिया गया नियम लागू होगा।

6.7.5 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना में उपलध्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

| $\begin{aligned} & \text { क्र. } \\ & \text { सं. } \end{aligned}$ | उपलब्धि | प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाम |
| :---: | :---: | :---: |
| अ | प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्र्रों में अन्तरर्ट्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/राष्ट्रीय /राज्य स्तर पर पुरस्कृत स्वयं सेवक | न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश |
| ब | प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार गणतंत्र दिवस परेड (दिल्ली) राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर अथवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लिया हो तथा विशेष शिविरों में उपरिथति एवं 240 घंटों का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर | 6 प्रतिशत |
| स | प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में राज्य स्तर/विभाग स्तर पर शिविरों में भागीदारी तथा एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घंटे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर | 5 प्रतिशत |
| द | प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में एक विशेष शिविर में उपरिथति एवं 240 घण्टे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर | 3 प्रतिशत |

6.7.6 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर रोवर, रेन्जर, स्काउट, गाइड में उपलध्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

| क्र. <br> सं. | उपलब्धि | प्रवेश योग्यता <br> सूरी में बरीयता <br> निर्धारण हेत देय <br> लान |
| :--- | :--- | :--- |
| अ | विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा भारत स्काउट/गाइड मुख्यालय <br> द्वारा चयनित होकर किसी अन्तराष्ट्रीय गतिविधि में भाग लिया हो अथवा <br> राष्ट्टपति द्वारा राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/ रेंजर पुरस्कार प्राप्तकर्ता। <br> उत्तीर्णांक पर <br> प्रवेश |  |
| ब | राज्य पुरस्कार स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर अथवा राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य <br> का प्रतिनिधित्व कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/उप <br> राष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में शील्ड प्राप्त किया हो। | 5 प्रतिशत |
| स | तृतीय सोपान स्काउट/गाइड अथवा प्रवीण रोवर/रेंजर अथवा निपुण <br> रोवर/रेंजर अथवा स्टेट रोवरमूट/रेंजर मीट में भाग लिया हो अथवा राज्य <br> स्तरीय एडवेंचर गतिविधि अथवा डेजर्ट ट्रेकिंग शिविर में भाग लिया हो अथवा <br> पर्वतारोहण का आधारभूत कोर्स कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड <br> प्रतियोगिता/उप राष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्वकर्ता को। |  |

6.7.7 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर सह शैक्षणिक गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

| $\begin{aligned} & \text { क्र. } \\ & \text { सं. } \end{aligned}$ | उपलब्धि | प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धरिण हेतु देय लाम |
| :---: | :---: | :---: |
| अ | भारत सरकार के मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो। | न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश |
| ब | भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी.सी.आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त। | 6 प्रतिशत |
| स | राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उप विजेता दल के सदस्य, अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/राज्य का प्रतिनिधित्व। टिप्पणीः उपर्युक्त (ब) एवं (स) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संघटक/सम्बद्ध कॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा। | 5 प्रतिशत |
| द | राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था/संभाग का प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा जिला अथवा संभाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उप विजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त | 3 प्रतिशत |

6.7.8 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार क्लब की गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

|  | उपलब्धि | प्रवेश योग्यता <br> सूची में वरीयता <br> निर्धारण हेतु देय <br> लाभ |
| :---: | :--- | :--- |
| अ | विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार क्लब में सत्र पर्यन्त्र <br> सहभागिता एवं एक विस्तार कार्यक्रम में उपस्थिति का प्रमाण-पत्र होने <br> पर। <br> राज्य मानवाधिकार आयोग या अधिकृत संस्थाओं द्वारा उल्लेखनीय कार्य <br> का प्रमाण पत्र होने पर। | 2 प्रतिशत |


6.7.9 अन्य विशेष प्रकार के अभ्यर्थियों को देय लाभ

|  | श्रेणी | प्रवेश योग्यता <br> सूची में वरीयता <br> निर्धारण हेतु देय <br> लाभ |
| :---: | :--- | :--- |
| अ | मृत राज्य कर्मचारी के पुत्र/पुत्री अथवा कॉलेज शिक्षा सेवाओं में सेवारत |  |
| ब सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री। |  |  |
| महिला अभ्यर्थी (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों हेतु यदि अभ्यर्थी द्वारा |  |  |
| आवेदित संकाय/विषय में अध्ययन की सुविधा स्थानीय राजकीय महिला |  |  |
| बम्प्यूटर व |  |  |
| महाविद्यालय में उपलब्ध न हो।) |  |  |

6.7.10 समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान पर अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु देय लाभ

|  | उपलध्धि | प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ | मान्य प्रमाण-पत्र |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| अ | तीन सत्र तक लगातार राजकीय एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में स्थित ब्लड बैंकों में स्वैच्छिक रक्तदान करने पर | 1 प्रतिशत | अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी |
| ब | साक्षरता अभियान में तीन सत्र में तीन व्यक्तियों को अर्थात् प्रति सत्र एक व्यक्ति को साक्षर करने पर | 0.5 प्रतिशत | साक्षरता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रमाण- पत्र |
| स | अपनी कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अपनी कक्षा की सम्पूर्ण पुस्तकें लगातार तीन सत्र तक बुक बैंक में जमा कराने पर | 0.5 प्रतिशत | प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण-पत्र |

6.8 नियम संख्या 6.7.1 से 6.7.10 के अन्तर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं हैं।
6.9 ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय लाभ प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र दोनों ओर से स्केन कर अपलोड करना होगा। कॉमन एडमिशन फार्म के साथ सम्बन्धित सक्षम अधिकारी / विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की

प्रति बाद में स्वीकार नहीं होगी। अन्तरिम प्रवेश सूची में नाम आने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6.10 उपर्युक्त नियम 6.7.1 से 6.7.10 में वर्णित लाभों में से किसी एक का लाभ (जो अधिकतम हो) अभ्यर्थी को देय होगा
6.11 उपर्युक्त लाभ में से किसी एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक कक्षा में प्रवेश के लिए एक ही लाभ देय होगा।
6.12 प्रवेश शुल्क - छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राजकीय निधि तथा महाविद्यालयों द्वारा स्थानीय निधि मदों की राशि ली जायेगी। छात्रा शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजरथान सरकार शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(3)शिक्षा/ग्रुप-3/2019 दिनांक 05.03.2019 द्वारा प्रदेश की सभी वर्ग की समस्त छात्राओं/महिलाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रवेश के समय ली जाने वाली केवल राजकीय निधि मदों की राशि माफ रहेगी।


